

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार
2011 की सिविल अपील संख्या. 4709

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और अन्य

... अपीलकर्तागण

बनाम

जगदीप सिंह

.....प्रतिवादीगण

निर्णय

राजेश बिंदल, जे.

1. 2009 की आर.एस.ए. संख्या 1449 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.10.2009 को वर्तमान अपील में चुनौती दी गई है। उपरोक्त आदेश से, अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया था और विचारण न्यायालय के साथ-साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों को बरकरार रखा गया था।
2. विवाद प्रतिवादी को भूखंड के आवंटन के लिए अतिरिक्त कीमत की मांग से संबंधित है।
3. प्रतिवादी को आवंटन पत्र दिनांक 21.08.1986, @ ₹ 224.90 प्रति वर्ग गज की दर से, द्वारा सेक्टर-14, (भाग), हिसार में प्लॉट नं. 1084 आवंटित किया गया था।
4. अपीलकर्ताओं द्वारा 15.01.1993 को प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें अतिरिक्त कीमत की मांग की गई थी और साथ ही उसे कारण बताने के लिए भी कहा गया था कि आवंटन के दो साल की अवधि के भीतर निर्माण न होने के कारण प्लॉट को फिर से रिज़्यूम क्यों नहीं किया जाना चाहिए (टू शो काँज एज़ टू व्हाई दी प्लाट शुड नॉट बी रिज़्यूमड ऑन अकाउंट ऑफ़ नॉन - कंस्ट्रक्शन विदिन अ पीरियड ऑफ़ टू ईयरस ऑफ़ अलोटमेंट)। उपरोक्त नोटिस के बाद बाद के नोटिस जारी किए गए और अंतिम नोटिस 28.01.2002 का था।

5. प्रतिवादी द्वारा 01.10.2003 को वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा उठाई गई मांग को चुनौती देते हुए एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया था। उसे डिक्री कर दिया गया था। इससे क्षुब्ध होकर, वर्तमान अपीलकर्ता ने अपील दायर की जिसे निचली अपीलीय अदालत ने खारिज कर दिया। अपीलार्थी उच्च न्यायालय के समक्ष भी सफल नहीं हुए।

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा उठाई गई दलील को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि आवंटन पत्र में निहित शर्तों के अनुसार, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि की लागत में वृद्धि के मामले में ही अतिरिक्त मूल्य की मांग की जा सकती है। जैसा कि वर्तमान मामले में है, किसी न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत भूमि की कीमत में कोई वृद्धि नहीं की गई है, इसलिए कोई अतिरिक्त मांग नहीं की जा सकती है।

7. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया तर्क यह है कि विचाराधीन भूमि पशुपालन विभाग, हस्त्रियाणा द्वारा अपीलकर्ताओं को 1,21,000/- प्रति एकड़ की दर से हस्तांतरित की गई थी। हालांकि बाद में इसे संशोधित कर 3,00,000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया। विफल होने पर, अपीलकर्ताओं को भूमि का कब्जा नहीं दिया जाना था। अपीलकर्ताओं द्वारा 21.08.1986 को 224.90 की दर से आवंटन किया गया था। प्रारंभ में जब प्रतिवादी को भूखंड आवंटित किया गया था, तब भूमि की कीमत 1,21,000/- प्रति एकड़ लेते हुए कीमत की गणना की गई थी। हालांकि, बाद में लागत को बढ़ाकर 3,00,000/- प्रति एकड़ कर दिया गया, अतिरिक्त कीमत की मांग की गई। प्लॉट की कीमत 301.70 वर्ग गज आंकी गई थी और प्रतिवादी से 76.80 प्रति वर्ग गज की दर से अतिरिक्त मांग की गई थी। नोटिस में यह भी कहा गया था कि पिछले 5 से 6 वर्षों में विकास शुल्क की लागत में वृद्धि हुई है, फिर भी अपीलकर्ता इसे वहन करेंगे। चूंकि अपीलकर्ताओं को भूमि की लागत बढ़ गई, इसलिए इसे आवंटियों द्वारा वहन किया जाना था। अपीलकर्ता गैर-लाभकारी संगठन हैं।

8. नोटिस में आगे कहा गया है कि यदि प्रतिवादी अतिरिक्त कीमत के भुगतान पर प्लॉट के आवंटन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित अपनी जमा राशि वापस प्राप्त कर सकता है।

9. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि मौजूदा मामले में, आवंटन पत्र में एक शर्त यह थी कि भूखंड की कीमत अस्थायी थी; भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णीत भूमि की लागत में वृद्धि के कारण ही अतिरिक्त कीमत की मांग की जा सकती है। अपीलकर्ता का यह स्वीकार

किया गया मामला है कि जिस भूमि पर प्रश्नगत भूखंड बनाया गया था/ काटा गया था, उसका अधिग्रहण नहीं किया गया था, बल्कि इसे राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा अपीलकर्ताओं को हस्तांतरित कर दिया गया था। उसका मूल्य हस्तांतरण के समय निर्धारित किया गया था, हालांकि, यदि बाद में अलग/ अतिरिक्त मूल्य निर्धारित किया जाता है, तो आवंटियों को बढ़ी हुई लागत वहन करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख एवं संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया।

11. तथ्य यह है कि प्रतिवादी को आवंटन पत्र दिनांक 21.08.1986 के तहत 224.90 प्रति वर्ग गज की दर से भूखंड आवंटित किया गया था, यह विवाद में नहीं है। अपीलकर्ता का यह भी स्वीकार किया गया मामला है कि जिस जमीन पर प्लॉट बनाया / काटा गया था, वह शुरू में राज्य के पशुपालन विभाग के स्वामित्व में थी, जिसे अपीलकर्ता को हस्तांतरित कर दिया गया था। प्रारंभिक मूल्य 1,12,000/- प्रति एकड़ निर्धारित किया गया था। भूखंड की लागत की गणना विकास की लागत सहित की गई और आवंटन किए गए। अभिलेख से पता चलता है कि बाद में, जिस दर पर पशुपालन विभाग की 275.5 एकड़ भूमि अपीलकर्ताओं को हस्तांतरित की गई थी, उसे संशोधित कर 3,00,000/- प्रति एकड़ कर दिया गया था। क्या जमीन की अतिरिक्त कीमत/लागत का बोझ प्लॉट धारकों पर डाला जा सकता है, यह मुद्दा निचली न्यायालयों के समक्ष था। अतिरिक्त मूल्य की मांग के संबंध में आवंटन पत्र में निहित प्रासंगिक खंड नीचे उद्धरित है:

"खंड 9: उपरोक्त मूल्य इस सीमा तक अनंतिम है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णित भूमि की लागत में कोई वृद्धि भी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार देय होगी / अनुपातिक रूप से देय होगी और निर्धारित अतिरिक्त मूल्य का भुगतान इसकी मांग के 30 दिनों के भीतर करना होगा।

12. पूर्वोक्त खंड की व्याख्या नीचे के सभी न्यायालयों द्वारा की गई थी, जिसका अर्थ था कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई भूमि की लागत में वृद्धि होने की स्थिति में अतिरिक्त कीमत की मांग की जा सकती है। अपीलकर्ताओं का यह स्वीकार किया गया मामला है कि भूखंड के आवंटन के लिए भूमि का अधिग्रहण कभी नहीं किया गया था। इसलिए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत किसी भी प्राधिकरण या अदालत द्वारा भूमि की लागत में कोई वृद्धि नहीं की जा सकती थी।

13. अभिलेख पर मौजूद इन निर्विवाद तथ्यों और आवंटन पत्र में निहित नियमों और शर्तों से, प्रतिवादी को आवंटित प्लॉट की अतिरिक्त कीमत की मांग को दरकिनार करने में नीचे के विद्वान न्यायालय द्वारा कोई अवैधता

नहीं की गई है। वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं है। यह खारिज किए जाने के योग्य है। तदनुसार आदेश दिया जाता है।

14. वर्तमान क्षुद्र/तुच्छ अपील दायर करने के लिए, हमारी राय में, अपीलकर्ता भारी लागत के बोझ के पात्र हैं। इस न्यायालय ने इस न्यायालय में क्षुद्र/तुच्छ मुकदमों की भरमार में वादियों के आचरण की निंदा की थी, जो डॉक्ट्स को अवरोधित कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप जिन मामलों पर विचार करने की आवश्यकता है, उनमें देरी हो रही है। **दयानदेव सबाजी नाइक और अन्य बनाम प्रज्ञा प्रकाश खाडेकर और अन्य [1 (2017) 5 एससीसी 496]** में किए गए अवलोकन, नीचे उद्धृत किये गए हैं:

"13. इस न्यायालय को वादी द्वारा प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के किसी भी प्रयास को अस्वीकार की दृष्टि से देखना चाहिए। यदि इस तरह के प्रयासों से सख्ती से निपटा नहीं गया तो न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता गंभीर रूप से खत्म हो जाएगी। यदि कोई वादी न्यायालय में झूठ बोलता है या न्यायालय की प्रक्रियाओं के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे आने वाले परिणामों के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरों को इस उम्मीद में या न्यायिक उदारता की गलत उम्मीद पर उसी रास्ते पर चलने का साहस नहीं करना चाहिए। कानूनी मामलों में, महत्वपूर्ण वित्तीय दंड लगाना महत्वपूर्ण है, जिसे अनुकरणीय लागत कहा जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे देश की कानूनी प्रणाली की तरह, सत्य अत्यधिक मूल्यवान है और अन्य कारकों से प्रभावित नहीं है।

14. कानूनी प्रणाली के न्यायालय - यह न्यायालय अपवाद नहीं है - मुकदमेबाजी से भरा/दबा हुआ है। क्षुद्र/तुच्छ और निराधार फाइलिंग न्याय के प्रशासन के लिए एक गंभीर खतरा है। वे समय की खपत करते हैं और बुनियादी ढांचे को बाधित करते हैं। उत्पादक संसाधन जिन्हें वास्तविक कारणों से निपटने में लगाया जाना चाहिए, केवल देरी से लाभ पाने के लिए, मृत मुद्दों आगे बढ़ाने और बेकार के कारणों को आगे बढ़ाने में उपयोग किए जाने वाले उत्पादक संसाधनों को नष्ट कर दिया जाता है। किसी भी वादी का देरी में निहित स्वार्थ नहीं हो सकता है। दुर्भाग्य से, जैसा कि वर्तमान मामला उदाहरण देता है, न्याय देने की प्रक्रिया का अनैतिक लोगों द्वारा वैध लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए दुरुपयोग किया जाता है। वर्तमान मामला इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे एक साधारण मुद्दे ने अदालतों के समय पर कब्जा कर

लिया है और अपरिहार्य को बढ़ाने के लिए लगातार आवेदन कैसे दायर किए गए हैं।जिस व्यक्ति के पक्ष में न्याय का संतुलन है, वह इस प्रक्रिया में एक बासी/ पुराने मुद्दे को पुनर्जीवित करने के बार-बार के प्रयासों से मझधार में छोड़ दिया गया है।इस प्रवृत्ति पर तभी अंकुश लगाया जा सकता है जब पूरे सिस्टम में अदालतें एक संस्थागत दृष्टिकोण अपनाए जो इस तरह के व्यवहार को दंडित करता है।न्याय तक उदार पहुंच का मतलब अराजकता और अनुशासनहीनता तक पहुंच नहीं है।एक मजबूत संदेश दिया जाना चाहिए कि न्याय की अदालतों को कानून की देरी से लाभ के लिए बनाई गई मुकदमेबाजी की रणनीतियों से बाधित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।जब तक यहां और अभी सभी अदालतों द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक हमारा समाज पालन करने के बजाय टालमटोल/ अस्पष्ट कथन पर आधारित एक कानूनी संस्कृति पैदा करेगा।ऐसी स्थितियों से दृढ़ता से निपटना प्रत्येक न्यायालय का कर्तव्य है।अनुकरणीय लागतों का अधिरोपण एक आवश्यक साधन है जिसे क्षुद्र/तुच्छ मामलों को फाइल करने से रोकने के साथ ही साथ ऐसे मामलों की छंटाई करने के लिए प्रयोग किया जाना है।केवल तभी अदालतें वास्तविक कारणों को हल करने के लिए समय निर्धारित कर सकती हैं और उन लोगों की चिंताओं का जवाब दे सकती हैं जिन्हें न्याय की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वैध शिकायतों वाले नागरिकों की अदालतों तक पहुंच है, वास्तविक लागतें लगाना महत्वपूर्ण है जो कानूनी कार्यवाही में शामिल वास्तविक खर्चों को दर्शाती हैं।अन्यथा, केवल अयोग्य मामलों के भार के कारण वैध कारणों के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे जो प्रणाली में भर जाते हैं।ऐसी स्थिति को आने ही नहीं दिया जा सकता।इसलिए, यह केवल एक विकल्प नहीं है, बल्कि न्याय के प्रशासन को कमजोर करने या लम्बा करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को लागू करने वाले व्यक्तियों द्वारा कानूनी प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी अदालतों पर एक जिम्मेदारी और कर्तव्य है।हम सभी अदालतों को समान तरीके से क्षुद्र/तुच्छ प्रस्तुतियों/फाइलिंग्स से इसी प्रकार से निपटने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करते हैं।

(जोर दिया गया)

15. उपर्युक्त निर्णय को इस न्यायालय के बाद के निर्णय आई सी ओ एम एम टेली लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड और अन्य [2 (2019) 4 एससीसी 401] में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था।

16. अब वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हैं जो स्पष्ट रूप से अपीलकर्ताओं द्वारा दायर एक क्षुद्र /तुच्छ मुकदमेबाजी के रूप में मामला स्थापित करते हैं, जहां अधिकारी जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं।

17. गुण-दोष के आधार पर भी संजय गेरा बनाम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और अन्य [3 (2005) 3 एससीसी 207] में इस न्यायालय के समक्ष इसी तरह का एक मुद्दा विचार के लिए आया था।

18. यद्यपि उच्च न्यायालय ने आबंटिती को कोई राहत नहीं दी थी, तथापि इस न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया और आवंटन पत्र में उसी स्थिति की व्याख्या करते हुए आवंटि से अतिरिक्त मूल्य की मांग को रद्द कर दिया, जैसा कि वर्तमान मामले में है। इसके पैराग्राफ 2, 5 और 6 को यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“2. इस अपील के निस्तारण के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि वादी-अपीलार्थी को आवंटन पत्र संख्या 21548 दिनांक 20 अगस्त, 1986 द्वारा भूखण्ड संख्या 940 आबंटित किया गया था तथा उसने शर्तों के अनुपालन में ₹ 18,600 की राशि जमा करायी और आवश्यक दस्तावेज भेजे।प्रतिवादी-प्रत्यर्थियों ने उल्लेखित भूखंड के लिए वार्षिक भुगतान का अनुरोध किया, और वादी-अपीलकर्ता ने 21 अगस्त, 1987 को रसीद के माध्यम से इसे जमा कर दिया।प्रतिवादी-प्रत्यर्थियों द्वारा मांगी गई कुल राशि जमा करने के बाद, 15 जनवरी, 1993 को पत्र संख्या 1300 दिनांक 15 जनवरी, 1993 को वादी-अपीलार्थी को भेजकर 38,400 / - रुपये की राशि की मांग की गई, जिसे उपरोक्त भूखंड के संबंध में पत्र जारी करने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर भुगतान करने की मांग की गई थी। वादी-अपीलकर्ता ने 15 जनवरी, 1993 के पत्र की वैधता और विधिमान्यता का विरोध किया, यह आरोप लगाते हुए कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और कई अन्य आपत्तियां उठाईं।वादी-अपीलकर्ता की शिकायत यह थी कि प्रतिवादी-प्रत्यर्थियों द्वारा उठाई गई मांग वैध नहीं है क्योंकि उक्त मांग भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय/अवार्ड के कारण नहीं है और प्रतिवादी-प्रत्यर्थी उनके पक्ष में किया गया आवंटन को रद्द नहीं कर सकते।वादी-अपीलकर्ता ने प्रतिवादी-प्रत्यर्थियों से 15

जनवरी, 1993 के पत्र को रद्द करने का अनुरोध किया, लेकिन प्रतिवादी-प्रत्यर्थियों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसलिए, वादी-अपीलकर्ता को इस आशय की घोषणा के लिए प्रार्थना के साथ वर्तमान मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर किया गया था कि प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा जारी भूखंड संख्या 940, सेक्टर 14, भाग, हिसार के संबंध में 15 जनवरी, 1993 का दिनांकित पत्र अवैध, अमान्य है और रद्द करने के योग्य था और उन्होंने 20 अगस्त, 1986 के मेमो नंबर 21548 के माध्यम से प्रतिवादियों द्वारा जारी किए गए आवंटन पत्र को रद्द करने, समीक्षा करने या रद्द करने से प्रतिवादियों को रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए परिणामी राहत एवं उक्त पत्र के आधार पर कोई भी कार्यवाही करने से उन्हें रोकने की भी प्रार्थना की। वादी-अपीलकर्ता ने प्रतिवादी-प्रत्यर्थियों को भूखंड का कब्जा देने का निर्देश देते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा की भी मांग की।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और अभिलेखों का अध्ययन किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आवंटन आदेश की शर्त संख्या 9 के अनुसार प्रश्नगत मूल्य केवल अस्थायी था। परन्तु शर्त यह है कि भू-अर्जन अधिकारी द्वारा कोई अधिनिर्णय दिए जाने की स्थिति में मूल्य बढ़ाया जा सकता है। शर्त संख्या 9 निम्नानुसार है:

"उपरोक्त मूल्य इस हद तक अस्थायी है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णित भूमि की लागत में कोई भी वृद्धि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित आनुपातिक रूप से देय होगी। निर्धारित अतिरिक्त मूल्य का भुगतान उसकी मांग के तीस दिनों के भीतर किया जाएगा।

इस शर्त के अनुसार भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवार्ड/ अधिनिर्णय के अनुसार भूमि की कीमत में वृद्धि की जा सकती है। लेकिन भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण द्वारा ऐसा कोई अवार्ड/ अधिनिर्णय नहीं दिया गया था। एक वाद में प्रतिवादियों पर यह कर्तव्य डाला जाता है कि वे साक्ष्य प्रस्तुत करें कि पशुपालन विभाग को मुआवजे की उच्चतर दर का भुगतान बढ़ाने के कारण भूमि की लागत में वृद्धि आवश्यक है। लेकिन इस तरह का कोई सबूत मुकदमे में पेश नहीं किया गया। डी.डब्ल्यू.1 ने कहीं नहीं कहा कि यह वृद्धि आवश्यक थी क्योंकि पशुपालन विभाग को इस भूमि के अधिग्रहण के लिए उच्च दर पर मुआवजा देना था। हो सकता है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के कारण प्रतिवादी आवंटित भूखंड के लिए अधिक कीमत का दावा कर

सके। एक दीवानी मुकदमे में सभी तथ्यों की पैरवी करनी होती है और उन्हें साबित करना होता है। लेकिन मौजूदा मामले में, आरोप को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की यह जिम्मेदारी थी कि वह उचित साक्ष्य देकर इसे प्रमाणित करे कि भूमि अधिग्रहण की कीमत में वृद्धि के कारण वृद्धि हुई थी। लेकिन डीडब्ल्यू-1 का बयान, एकमात्र सबूत जो प्रतिवादी/प्रत्यर्थी ने प्रस्तुत किया है, इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण रूप से मौन है। दीवानी मामलों में, पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण केवल तथ्यों के प्रश्नों पर किसी अन्य निर्णय के आधार पर नहीं किया जा सकता है। कार्यवाही में उचित साक्ष्य प्रदान करके अपने मामले को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने और प्रमाणित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादियों की है। प्रतिवादी/प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए साक्ष्यों के अनुसार अर्थात् दस्तावेजी साक्ष्य के साथ-साथ मौखिक साक्ष्य, प्रतिवादियों द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। जहां तक आवंटन पत्र की शर्त संख्या 09 का संबंध है, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी अतिरिक्त कीमत की मांग कर सकते हैं क्योंकि आवंटन के समय कीमत अस्थायी थी। लेकिन आवंटन पत्र की शर्त संख्या 9 के अनुसार कीमत में वृद्धि को सही ठहराने के लिए, प्रतिवादियों को आरोप को साबित करने के लिए उचित सबूत पेश करने होंगे। प्रतिवादियों द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए, ट्रायल कोर्ट ने मामले में सही दृष्टिकोण रखा है और यह विद्वान अतिरिक्त 'जिला न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सबूतों की पूरी तरह से गलत व्याख्या का मामला है।

6. हमारी उपरोक्त चर्चा के परिणाम में, हमारी राय है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत है और इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण उचित नहीं लगता है। इसलिए, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के साथ-साथ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, हिसार द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हैं और विचारण न्यायालय द्वारा पारित 27 मार्च, 1996 के आदेश की पुष्टि करते हैं। लागत के संदर्भ में कोई आदेश नहीं।

19. इस न्यायालय के समक्ष उठाया जाने वाला मुद्दा दिनांक 01/12/1992 के पत्र का संदर्भ दे रहा था, जो अपीलकर्ताओं के अनुसार सेक्टर -14, (भाग), हिसार को हस्तांतरित भूमि के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा पशुपालन विभाग को भुगतान की जाने वाली आवश्यक राशि को दर्शाता है। पत्र को दिखाने का विचार यह था कि वास्तव में भूमि के हस्तांतरण के लिए भुगतान की जाने वाली राशि 1,21,000/- प्रति एकड़ के बजाय

3,00,000 रुपये थी। तथ्य यह है कि उपरोक्त दस्तावेज को इस न्यायालय द्वारा **संजय गेरा के मामले (उपरोक्त)** में संदर्भित और विचार किया गया है और उठाए गए तर्कों में कोई योग्यता नहीं पाई गई है।

20. मौजूदा मामले में प्रतिवादी ने अतिरिक्त कीमत की मांग को चुनौती देते हुए 1.10.2003 को दीवानी मुकदमा दायर किया था। संजय गेरा के मामले में इस न्यायालय का निर्णय 22.02.2005 को दिया गया था। यह तथ्य अपीलार्थियों की जानकारी में होने के बावजूद, मुकदमे का विरोध किया गया था और 19.08.2008 को इसका फैसला सुनाया गया था। मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ, अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील की गई और विफल होने पर उच्च न्यायालय के समक्ष और उसके बाद इस न्यायालय के समक्ष भी। उपरोक्त कारणों और विभिन्न स्तरों पर न्यायालयों का समय बर्बाद करने के लिए, हम अपीलार्थियों पर सर्वोच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र में जमा किए जाने वाले 1,00,000/- रुपये की लागत का बोझ डालना उचित समझते हैं।

21 इसके अलावा, यह देखते हुए कि प्रतिवादी अनावश्यक रूप से इस न्यायालय तक मुकदमेबाजी में घसीटा गया था, उन्हें 50,000/- की लागत (कॉस्ट) दिया जाना उचित है।

22. उपर्युक्त राशि अपीलकर्ताओं द्वारा उन दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूल की जाएगी, जिन्होंने इस न्यायालय के निर्णय द्वारा कवर किए जाने के बावजूद विभिन्न स्तरों पर अपील दायर करने के लिए उपयुक्त होने की राय दी थी।

23. प्रतिवादी से वसूल की जाने वाली अतिरिक्त राशि 26,880/- थी जिसका नोटिस जारी करने के स्तर पर भी कोई औचित्य नहीं था। मुकदमा 19 अगस्त, 2008 को डिक्री कर दिया गया था। मुकदमेबाजी पर खर्च की जाने वाली राशि बहुत अधिक होगी। यह अधिकारियों के अवैयक्तिक और गैर-जिम्मेदाराना रवैये के कारण है, जो सब कुछ कोर्ट में डाल देना चाहते हैं और निर्णय लेने से कतराते हैं। हालांकि, अभी भी अपीलकर्ताओं ने न केवल अपील दायर की थी, जिसके परिणामस्वरूप मामलों की लंबितता/विचाराधीनता के अलावा वकील और संबद्ध खर्चों के रूप में मुकदमेबाजी पर बड़ी राशि खर्च की होगी। इसके अलावा, जब मामला उच्च न्यायालय में उठाया गया था और उसके बाद जब इस न्यायालय के समक्ष आदेश को चुनौती दी गई थी, तो कई अधिकारी या कर्मचारी चंडीगढ़ में नियुक्त वकील से मिलने गए होंगे। यहां तक कि उस राशि की भी गणना की जानी चाहिए और दोषी अधिकारियों से वसूली की जानी चाहिए, जिन्होंने इस न्यायालय के निर्णय के बावजूद, उसी मुद्दे से निपटने के लिए मामले को अपील दायर करने के लिए फिट होने की राय दी।

24. उपरोक्त कारणों से, अपील खारिज कर दी जाती है। लागत (कॉस्ट) की राशि सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र में जमा की जानी चाहिए और प्रतिवादी को आज से दो महीने के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए और मुकदमेबाजी की लागत के संबंध में, छह महीने के भीतर आवश्यक कार्य किया जाए। इस न्यायालय में अनुपालन का हलफनामा प्रस्तुत किया जाना है।

..... न्यायाधीश
(अभय एस. ओका)

..... न्यायाधीश
(राजेश बिंदल)

नई दिल्ली

08 मई, 2023.

//जेके-पीएम//

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।